

कार्यालय
वन संरक्षक, दक्षिणी परिमंडल, गुरुग्राम
वन विभाग, हरियाणा सरकार,
वन परिसर, सोहना रोड़, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष/फैक्स - 0124-2655406

क्रमांक:- 3701

दिनांक:- 22/01/2020

सेवा में,

वन मण्डल अधिकारी,
फरीदाबाद।

विषय: Diversion of 13.684 ha of forest land for Manavrachna International institute of Research and study, Sector 43, Faridabad.

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 1008 दिनांक 13.01.2020.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा भेजे गए केस का अवलोकन करने पर निम्न कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गई :-

1. उक्त प्रस्ताव में कुल क्षेत्र 13.684 है0 दर्शाया गया है। जबकि आप द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में 14.74 है0 (36.5 एकड़) तथा यूजर एजेंसी द्वारा दिए गए सहमति पत्र में 13.1014 है0 दर्शाया है। अतः उक्त भिन्नता बारे स्पष्ट करें।
2. प्रायोक्ता एजेंसी द्वारा एफ0सी0ए0 1980 उलंघना की गई है, इस बारे आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई।

अतः उक्त केस में दर्शाई गई त्रुटियों को दूर करके केस शीघ्र इस कार्यालय में भेजें, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न/प्रस्ताव।

वन संरक्षक दक्षिणी परिमण्डल,
गुरुग्राम।

Received letter no 3701 dt 22/1/2020
T. Kejethi
22/1/2020